निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

3 कार्तिक 1938 (श0)

(सं0 पटना 939) पटना, मंगलवार, 25 अक्तूबर 2016

गृह विभाग (विशेष शाखा)

अधिसूचना

25 अक्तूबर 2016

सं0 ओ0/मं0नि0यो0–04/16–10065—राज्य सरकार अपने कल्याणकारी दायित्व के निर्वहन हेतु राज्य के नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने एवं संपत्तियों की रक्षा हेतु कृत संकल्पित है। मंदिरों की चल–अचल संपत्ति की सुरक्षा तथा मंदिरों में स्थापित बहुमूल्य मूर्तियों की निगरानी एवं सुरक्षा के निमित्त निम्नांकित प्रावधान किये जाने का निर्णय लिया गया है:–

1. राज्य के पौराणिक एवं धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मंदिरों की थानावार एवं जिलावार सूची संधारित की जायेगी। सूची का संधारण जिला स्तरीय दो सदस्यीय समिति द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक जिला में इस समिति के अध्यक्ष जिला पदाधिकारी होगें तथा उसके सदस्य पुलिस अधीक्षक होगें।

2. जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा गठित समिति राज्य के पौराणिक एवं धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मंदिरों की थानावार एवं जिलावार सूची संधारित करेंगे। संधारित सूची में मूर्तियों के नाम, उसमें प्रयुक्त धातु, उनका अनुमानित मूल्य एवं पुरातात्विक महत्व का उल्लेख होगा। सभी मंदिरों एवं मठो की कीमती मूर्तियाँ एवं अन्य सामग्री किसकी देख–रेख में है इसकी सूची भी संधारित की जायेगी तथा इस सूची की एक प्रति संबंधित थाना/पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी संधारित की जायेगी। इस उद्देश्य से मूर्तियों के फोटाग्राफ/वीडियो भी लिये जायेंगे। इन मंदिरों के पुजारियों/मठाधीशों से उनका मोबाईल नं0 प्राप्त कर स्थानीय थानाध्यक्ष उनसे संपर्क में रहेंगे तथा समय–समय पर सुरक्षा की समीक्षा भी करेंगे।

3. मंदिरों एवं मूर्तियों की संख्या को ध्यान में रख कर उसकी निगरानी हेतु स्थानीय पुलिस पदाधिकारी/दफादार/चौकीदार चिन्हित किये जायेंगे जो अपने रोजमर्रा के कर्त्तव्यों में थाना क्षेत्र में परिभ्रमण के क्रम में अद्यतन सूचना की जानकारी प्राप्त करेंगे। किसी प्रकार की संदेहास्पद सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष को इससे अवगत करायेंगे। वैसे मंदिर जहाँ अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक दृष्टि से मूल्यवान मूर्ति स्थापित हो तथा

वहाँ पर स्थायी रूप से सुरक्षा हेतु प्रतिनियुक्ति आवश्यक हो, के संबंध में समिति विचार कर निर्णय लेगी।

4. पुलिस अधीक्षक/आर्थिक अपराध इकाई के पदाधिकारी, मूर्ति चोरों की सूची बनाकर लगातार अन्तर जिला/अन्तर्राज्यीय गिरोहों पर संबंधित जिलों एवं राज्यों की पुलिस से समन्वय स्थापित कर वैसे गिरोहों पर निगरानी रखेगें एवं उनके विरूद्ध छापेमारी करेंगे। आर्थिक अपराध इकाई, अन्तरजिला/अन्तर्राज्यीय गिरोहों की सूची संधारित करते हुए आपस में समन्वय स्थापित करने का कार्य करेंगे।

5. जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक मूर्ति चोरी संबंधी कांडों की सूची तैयार कर आरोप पत्र के आधार पर काण्डों के त्वरित विचारण की व्यवस्था कराने का प्रयास करेंगे।

6. राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण मंदिरों एवं मूर्तियों की सुरक्षा हेतु आवश्यक चहारदीवारी निर्माण का कार्य ''बिहार मंदिर चहारदीवारी निर्माण योजना'' के तहत जिला स्तर पर निर्धारित प्राथमिकता सूची के आधार पर किया जायेगा। सुरक्षा के मद्देनजर आवश्यकतानुसार अन्य व्यवस्था भी की जायेगी।

7. आर्थिक अपराध इकाई द्वारा मूर्ति चोरी के कांडों के उद्भेदन एवं अनुसंधान हेतु मानक क्रियान्वयन पद्धति (Standard Operating Procedure) का निर्धारण किया जायेगा तथा क्षेत्रीय पुलिस पदाधिकारियों को मार्ग दर्शन दिया जाएगा। क्षेत्रीय पदाधिकारी इसका अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

8. जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक द्वारा मूर्तियों की चोरी को रोकने हेतु थाना एवं स्थानीय स्तर के पदाधिकारियों, न्यास बोर्ड के पदाधिकारियों/प्रतिनिधियों एवं अन्य गणमान्य नागरिकों के साथ बैठक कर समय–समय पर समीक्षा करेंगे।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 939-571+1000-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in